सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 996
26/12/2023

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना–26 दिसंबर, 2023 ::– आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 29 (उनतीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित **सभा कक्ष** में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ''बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023'' की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचनागत, समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार पर्यटन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से स्वीकृत सभी 7115 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्रों को सामान्य आँगनवाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमित करने एवं उक्त आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु केन्द्रांश, राज्यांश एवं राज्य योजना मद में कुल अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹1,36,10,28,350 (एक सौ छत्तीस करोड़ दस लाख अठाईस हजार तीन सौ पचास) की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के ही तहत गया जिलान्तर्गत विष्णुपद मंदिर में पाथवे–सह–शेड भवन, संरचना एवं मंदिर के लिए अल्टरनेटिव एप्रोच पथ एवं बस डिपो के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 61,96,79,000/– (एकसठ करोड़ छियानवे लाख उनासी हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के तहत गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी के बाँये तट पर विष्णुपद् मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने का कार्य, द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 386.85517 करोड़ रूपये (तीन सौ छियासी करोड़ पचासी लाख इक्यावन हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा गया जिला के फल्गू नदी के दाँये तट पर माँ सीता कुंड से रबर डैम के डाउनस्ट्रीम तक माँ सीता पथ निर्माण सहित चहारदिवारी एवं नाला निर्माण, बायें तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण, चहारदिवारी पर आर्टिस्टिक पेंटिंग एवं सीता पथ तथा बाउंड्रीवाल के बीच खाली पड़े जगहों में सी०सी० पेभर ब्लॉक लगाने एवं अतिरिक्त कार्य इस योजना के अभिन्न अंग के रूप में चालू एकरारनामा के तहत् जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीमामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दो सौ छियानबे) रूपये भुगतान करने हेतु राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सुगरवे नदी के बॉयें एवं दॉयें तट पर अररिया ननियोटी आर०डब्लू०डी० रोड से 3.00 कि०मी० डाउन स्ट्रीम (बेहरारी ग्राम के समीप) एवं सुगरवे नदी के अप स्ट्रीम के 1.00 कि०मी० में नये तटबंध का निर्माण का कार्य तथा बॉयें एवं दॉयें तटबंध (नये एवं पुराने) के कालीकरण का कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 7308.53 लाख) (तिहत्तर करोड़ आठ लाख तिरपन हजार मात्र) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ''पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य'' के अन्तर्गत रूपये 4,08,29,900/–(चार करोड़ आठ लाख उनतीस हजार नौ सौ) मात्र की अनुमानित लागत पर जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों में 24 x 7 पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सा पदाधिकारी (Veterinary Officer) के 69 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 31 (एकतीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम एवं कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI) एण्ड मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए कुल–183 (एक सौ तिरासी) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष–29 एवं व्याख्याता–154) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु मूल स्वीकृत योजना लागत कुल रू० 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र एवं प्रथम पुनरीक्षित योजना लागत कुल रू० 640.5572 करोड़ (छः सौ चालीस करोड़ पचपन लाख बहतर हजार रूपये) मात्र का द्वितीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 889.9832 करोड़ (आठ सौ नवासी करोड़ अंठानवे लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अन्तर्गत 12 वृहद् आश्रय गृहों के संचालन के लिए प्रशासी निकाय हेतु 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के ही तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) के अंतर्गत मुख्यालय एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 93 (तिरानवे) पदों के सृजन तथा अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 4,34,36,544/–(चार करोड़ चौतीस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ चौवालीस रूपये मात्र) की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम–2006 की धारा 16 एवं 17 की शक्तियों को सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स साहु एग्रो बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड, परबत्ता, इस्माईलपुर, भागलपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 50 KLPD क्षमता का Ethanol उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत सारण, छपरा प्रमण्डलीय जिला मुख्यालय में स्थित 600 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का नाम ''श्री भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी'' रखे जाने की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सात निश्चय–2– सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत SH-69 सुपटा से अहियापुर भाया लोदीपुर, नारायण बिगहा, खैरा, पाण्डेय बिगहा, चहतामा पथ (मउ एवं टिकारी बाईपास पथ) के कि०मी० 0.00 से 12.40 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 5036.81 लाख (पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्कासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वाणिज्य–कर विभाग के अन्तर्गत श्री सुबोध राम, राज्य–कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत M.J.C No. 126/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा C.W.J.C No. 16204/2016 में दिनांक–06.10. 2021 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु डा० राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 243 नि०गो०, दिनांक 30.06.2015 को L.P.A No. 79/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय से प्रभावित होने के शर्त के अधीन निरस्त करते हुए सेवा में पुनर्बहाल किये जाने की स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन प्रति विद्यालय ₹46,07,97,000/–(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर से कराने के लिए संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार कुल 02 (दो) आवासीय विद्यालयों प्रखण्ड–सह–अंचल–मुशहरी (मुजफ्फरपुर) एवं अलौली (खगड़िया) में निर्माण के लिए कुल ₹92,15,94,000/–(बेरानवे करोड़ पन्द्रह लाख चौरानवे हजार रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार 720 आसन वाले 3 (तीन) डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय, नरपतगंज (अररिया), कुटुम्बा (औरंगाबाद) एवं मदनपुर (औरंगाबाद) में निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति आवासीय विद्यालय ₹46,07,97,000/– (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर पर कुल (₹46,07,97,000x3) = ₹138,23,91,000/–(एक सौ अड़तीस करोड़ तेईस लाख एकानवे हजार रू०) की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु उपलब्ध बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्ति के प्रत्याशा में राज्यांश की कुल राशि ₹2,00,00,000.00 (दो करोड़ रूपया) मात्र की व्यय की स्वीकृति एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agencies (IAs) के बैंक खाते के माध्यम से व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के ही तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु उपलब्ध बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में राज्यांश की कुल राशि ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपया) मात्र की व्यय की स्वीकृति एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agencies (IAs) के बैंक खाते के माध्यम से व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–मुहर्रमपुर, थाना नं०–137, वार्ड सं०–01, सीट सं०–22/21 म्यूनिसिपल खेसरा सं०–391 एवं 396 क्रमशः रकबा– 0.0343 एकड़ एवं 0.0020 एकड़ सहित कुल रकबा– 0.0363 एकड़ भारतीय नृत्य कला मंदिर सांस्कृतिक परिसर के दखल की खासमहाल भूमि पर आकाशवाणी मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०– 03,26,70,000/–(तीन करोड़ छब्बीस लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत समस्तीपुर जिलान्तर्गत सरायरंजन अंचल मौजा–रामनगर नरघोघी, थाना सं०–289 भू–हदबंदी वाद सं०– 25/90–91 सरकार बनाम श्री राम जानकी मंदिर, रामनगर नरघोघी में भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–15(1) द्वारा अर्जित अधिशेष भूमि में से मौजा–रामनगर नरघोधी, थाना नं०–289, खाता सं०–05, खेसरा सं०–1275 कुल रकबा–5.265 एकड़ भूमि श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर के भवन विस्तारीकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री प्रवीण कुमार (आई०डी०–5066) तत्कालीन सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर

यथा संशोधित) के नियम 14 (xi) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दण्ड अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत CFMS एवं WAMIS को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य Project Management Consultancy (PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु M/s PwC Pvt. Ltd. के अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹5,72,31,270/–(पॉच करोड़ बहत्तर लाख एकतीस हजार दो सौ सत्तर) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।

****